न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 52/2019

उनवान

गोपाललाल पुत्र श्रीनिवास, उम्र करीब 65 वर्ष, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा (जैतपुरा), तहसील चोमूं, जिला जयपुर।

——वादीगण

बनाम

1. नाना देवी पत्नी मदनलाल, उम्र करीब 35 वर्ष
2. बाबुलाल पुत्र हरिनारायण
3. महेश पुत्र हरिनारायण

   समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा (जैतपुरा), तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार, तहसील चौमूं।

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः— 28.11.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके ग्राम अनन्तपुरा, पटवार हल्का अनन्तपुरा, भू–अभि. नि. क्षेत्र मोरीजा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 1302/1 रकबा 0.99 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1302 रकबा 0.01 है0 खसरा नम्बर 1361 रकबा 0.48 है0 खसरा नम्बर 1412 रकबा 0.06है0 खसरा नम्बर 1427 रकबा 0.36 है0 खसरा नम्बर 1428 रकबा 0.26 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1453 रकबा 0.19 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.35 है0 स्थित है जो वादी की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमियों में से खसरा नम्बर 1302/1 रकबा 0.99 है0 उक्त वाद पत्र में विवादित है जिसे वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1302/1 के लगवा दक्षिणी पश्चिमी दिशा में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1301 रकबा 0.30 है0 भूमि स्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 आये दिन वादी की भूमि की सींव डोल में छेडछाड करते रहते है तथा वादी की भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान करते रहते है व जबरिया वादी की भूमि पर सींव डोल फोडकर कब्जा करना चाहते है, जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है।

वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर निरन्तर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा आवारा पशुओं की सुरक्षा की दृष्टि से वादी द्वारा उक्त आराजीयात पर अपनी भूमि में कच्ची डोल व तारबन्दी कर रखी है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का विवादित भूमि के कब्जे एवं स्वामित्व से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादी के पडौसी है जिस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता आये दिन वादी की भूमि पर जबरिया कब्जा करने की नियत से सीव डोल, कच्ची डोल एवं सीमा चिन्हों में तोड–फोड करते रहते है तथा विवादग्रस्त भूमि के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करते है जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को हक अधिकार प्राप्त नही है। इसी विधि विरूद्ध उद्देश्य से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा अन्य असामाजिक तत्वों की मदद से दिनांक 27.05.2019 को विवादग्रस्त भूमि पर आकर वादी के कब्जे एवं स्वामित्व के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित किया गया तथा जबरिया वादी की सम्पत्ति में प्रवेश करने की नियत से उसकी भूमि में कायम सीमा चिन्ह एवं कच्ची मिट्टी की डोल को क्षतिग्रस्त कर जबरिया वादी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया एवं

Scanned by CamScanner

तारबन्दी को उखाडनें लगे जिसका विरोध वादी द्वारा किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा वादी को ऐलानिया धमकी दी गई कि वे शीघ्र ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल कर देंगे तथा वादी को विवादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग नही करने देंगे, जिसमे वादी ने कोई आपत्ति की तो परिणाम अच्छा नही होगा जिस कारण वाद वादी श्रीमानजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पावन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 3 विवादित आराजी के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नही करें, ना ही विवादित आराजी पर बनी मिट्टी की कच्ची डोल को तोडे, ना ही सीमा चिन्हों को खुर्द–बुर्द करें, ना ही खड्डे खोदे ना ही पोल गाडे, ना ही पुख्ता निमार्ण कार्य करें, ना ही निमार्ण सामग्री डाले, ना ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करें। उक्त कृत्य उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, कर्मचारी या वर्कमैन के जरिये करवायें अर्थात् मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

वादीगण के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1302/1 रकबा 0.99 है0 ग्राम अनन्तपुरा, पटवार हल्का अनन्तपुरा, भू–अभि. नि. क्षेत्र मोरीजा, तहसील चौमूं जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– हिम्मत सिंह

मु.न. 52/2019

उनवान

गोपाललाल पुत्र श्रीनिवास, उम्र करीब 65 वर्ष, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा (जैतपुरा), तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. नाना देवी पत्नी मदनलाल, उम्र करीब 35 वर्ष
2. बाबुलाल पुत्र हरिनारायण
3. महेश पुत्र हरिनारायण
   समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा (जैतपुरा), तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार, तहसील चौमूं।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु वादी मिनजामिन मुददई रुबरु हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1302/1 रकबा 0.99 है0 ग्राम अनन्तपुरा, पटवार हल्का अनन्तपुरा, भू–अभि. नि. क्षेत्र मोरीजा, तहसील चौमूं जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर खुले न्यायालय मे आज तारीख 28.11.2019 को जारी किया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मोहर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प कागज सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोट– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.29 15:23:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: